| दिनांक | आज्ञा-पत्र |
|---|---|
| 4-7-19 | पत्रावली पेश हुई। वकील आम पक्षकार। वकील वादी द्वारा बार-बार समन तामील पेश करने हेतु अवसर दिये गये लेकिन समन तामील पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा निरंतर समन तामील पेश करने के लिए हिदायत दी गई तथा नियम 9 (5) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये गये लेकिन समन तामील पेश नहीं किया गया। इस प्रकार वकील वादी समन तामील के आदेश करने में असफल रहा है। अतः वाद वादी तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर कार्यवाही समाप्त करें। |

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

निर्णय अद्य दिनांक 4/7/2019 को सुनाया जाकर उपलब्ध कराया गया।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर